राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर

क्रमांकः—प 15(2)निकृवि/आवंटन/कृ.प्र./17—18 5078 दिनांकः— 27.4.18

विज्ञप्ति

राज्य के विभिन्न मंडी प्रांगणों में अचल संपत्ति आवंटन नीति 2005 में विद्वयमान प्रावधानों के तहत कृषि प्रसंस्करण एवम कृषि विपणन प्रोत्साहन हेतु कृषि आधारित इकाईयों को भूखण्ड आवंटन हेतु कृषि विपणन निदेशालय की विज्ञप्ति संख्या 37687—88, दिनांक 16.12.16, 41230 दिनांक 19.1.17, 49656 दिनांक 24.3.17 एवम 3467 दिनांक 28.4.17 से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। उक्त आवेदन पत्रों के साथ आवेदकों द्वारा परियोजना लागत राशि की 1 प्रतिशत या रूपये 10.00 लाख (जो भी कम हो) जमा करायी जानी थी। लेकिन प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा पर यह पाया गया है कि कुछ आवेदको द्वारा संबंधित मण्डी यार्ड के लिये भूमि की प्रभावी दर कम आंकलित कर परियोजना रिपोर्ट तैयार कर उसी अनुरूप राशि जमा करायी गयी है। जिन आवेदको द्वारा ऐसा किया गया है उन्हें दिनांक 27—4—2018 से दिनांक 14—5—2018 तक अन्तर राशि का डी.डी सचिव, राजस्थान, राज्य कृषि विपणन बोर्ड,जयपुर के नाम से देय संबंधित मण्डी समिति में जमा कराये जाने का अवसर प्रदान किया जाता है। जिन आवेदको द्वारा इस अवधि में भूमि की प्रभावी कीमत के अनुसार परियोजना की गणना कर देय राशि निर्धारित तिथि तक जमा नहीं करायी जायेगी, उनके आवेदन पत्र अपूर्ण माने जाकर प्रभावी प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

27.04.2018

(नन्नूमल पहाडिया)
निदेशक
कृषि विपणन